संख्या– 438 / पाँच–1–08

प्रेषक,

प्रशान्त त्रिवेदी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– निदेशक / प्रधानाचार्य, समस्त राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, उ0 प्र0।
2– समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक / अधीक्षिका, जिला महिला / पुरूष चिकित्सालय।

चिकित्सा अनुभाग–1 लखनऊ :: दिनांक 18 अप्रैल, 2008

विषय – रक्त एवं रक्त अवयव हेतु सर्विस चार्ज लिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के परिपत्र संख्या–टी–12011 / 1 / 2008, –नाको(बी0एस0), दिनांक 08.01.2008 व तद्विषयक परिपत्र संख्या–टी–12015 / 30 / 2002 –नाको(बी0एस0), दिनांक 23.01.2008 के द्वारा निम्नलिखित निर्देश दिये गये है:–

1– राजकीय एवं स्वैच्छिक रक्तकोषों द्वारा अपने अस्पताल में भर्ती मरीजों या अन्य राजकीय एवं स्वैच्छिक रक्तकोषों को रक्त यूनिट प्रदान करने पर सर्विस चार्ज के रूप में मात्र रू0 850/– (आठ सौ पचास रूपये मात्र) प्रति यूनिट लिया जायेगा।

2– थेलेसीमिया तथा हीमोफीलिया से ग्रसित रोगियों को बार–बार रक्त चढ़ाने की आवश्यकता के दृष्टिगत उनको निशुल्क रक्त यूनिट उपलब्ध कराया जाय।

3– उपर्युक्त के अतिरिक्त रक्त अवयव हेतु निम्नानुसार चार्ज लिया जायेगा:–

क– पैक्ड रेड सेल्स / होल ब्लड
(packed Red Cells/Whole Blood) – रू0 850/– प्रति यूनिट

ख– फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा
(Fresh Frozen Plasma) – रू0 400/– प्रति यूनिट

ग– प्लेटिलेट कन्सेंट्रेट
(Platelet Concentrate) – रू0 400/– प्रति यूनिट

घ– क्रियोप्रिसिटेट
(Cryoprecipitate) – रू0 200/– प्रति यूनिट

नाको सहयातित राजकीय रक्त कोषों में शुल्क / चार्ज में संशोधन / परिवर्तन राज्य ब्लड ट्रान्सफ्यूजन कौंसिल के अनुमोदनोंपरान्त किया जा सकेगा।

उ0 प्र0 राज्य ब्लड ट्रान्सफ्यूजन कौंसिल के सुदृढ़ीकरण के लिए ब्लड बैंक सर्विस चार्ज का 15 प्रतिशत कारपस फन्ड (Corpus Fund), उ0 प्र0 राज्य ब्लड ट्रान्सफ्यूजन कौंसिल के खाते में जमा किया जायेगा।

6– कार्पोरेट सेक्टर के चिकित्सालयों द्वारा संचालित ब्लड बैंक तथा कामर्शियल ब्लड बैंक उपर्युक्त प्रस्तर – 3 में उल्लिखित दर के अनुसार सर्विस चार्ज ग्रहण करेंगे।

7– यदि कार्पोरेट सेक्टर/प्राइवेट चिकित्सालयों के द्वारा अपने ब्लड बैंक संचालित न किये जा रहे हों तो वे सरकारी अस्पताल के ब्लड बैंक अथवा स्वैच्छिक संगठनों द्वारा संचालित ब्लड बैंक से रक्त प्राप्त कर सकेंगे। ऐसे मामलों में प्राइवेट नर्सिंग होम्स/कार्पोरेट चिकित्सालय रोगियों से उतना ही सर्विस चार्ज लेंगे जितना कि उनके द्वारा रक्त प्राप्त करने हेतु ब्लड बैंक को भुगतान किया गया हो। अनिवार्य परीक्षण के अतिरिक्त अन्य परीक्षणों के लिये उनके द्वारा अलग से चार्ज किया जा सकेगा।

8– राजकीय चिकित्सालयों में चिकित्सा सेवा शुल्कों के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–984/5–1–2000–4(80)/95, दिनाक 28.06.2000 एवं तद्विषयक समय–समय पर निर्गत आदेशों तथा इसी प्रकार की व्यवस्था राजकीय मेडिकल कालेजों से सम्बद्ध चिकित्सालयों के बारे में यदि कोई हो तो उनका उक्त आदेशों से कोई सम्बन्ध नहीं होगा। यह पुनः स्पष्ट किया जाता है कि नाको के दिशा निर्देशों के अनुरूप निर्गत किये जा रहे निर्देश अलग श्रेणी में माने जायेंगे।

9– कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

(प्रशान्त त्रिवेदी)
सचिव।

संख्या– 438(1)/पॉच–1–08, तद्‌दिनांक,

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– परियोजना निदेशक, उ0 प्र0 राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी।
2– महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0 प्र0।
3– निदेशक, चिकित्सा उपचार, उ0 प्र0।
4– औषधि नियंत्रक, उ0 प्र0।
5 समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उ0 प्र0।
6– समस्त प्रभारी रक्तकोष, राजकीय चिकित्सालय/चिकित्सा महाविद्यालयों तथा छत्रपति साहू जी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय से सन्बद्ध चिकित्सालय।
7– समस्त ए0आर0टी0 केन्द्र।
8– चिकित्सा अनुभाग–8।
9– चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–1/3
10– गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(एच0एल0 गुप्ता)
विशेष सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग–1
संख्या–3117/पांच–1–08
लखनऊः दिनांक 07 नवम्बर, 2008

कार्यालय–ज्ञाप

शासनादेश संख्या–438/पांच–1–08,
दिनांक 18.04.08 का स्पष्टीकरण

1285

रक्त एवं रक्त अवयव हेतु सर्विस चार्ज लिये जाने के संबंध में निर्गत किये गये शासनादेश संख्या–438/पांच–1–08, दिनांक 18.04.08 का प्रस्तर–8 विलुप्त किया जाता है और उसके स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाता हैः–

"यह आदेश प्रदेश के समस्त मेडिकल कालेज एवं राजकीय चिकित्सालयों में रक्त एवं रक्त अवयव सेवा शुल्कों के संबंध में शासनादेश संख्या–984/ 5–1–2000–4(80)/95, दिनांक 28.06.2000 को अवक्रमित करते हुए जारी किये जा रहे हैं।"

APD/JD/BS)

2– शासनादेश दिनांक 18.04.08 के शेष अंश यथावत रहेंगे।

एच0एल0गुप्ता
विशेष सचिव।

17/11

संख्या– 3117 (1)/पांच–1–08, तद्‌दिनांक।

उपर्युक्त की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– निदेशक/प्रधानाचार्य,समस्त राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय,उ0प्र0।
2– समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका, जिला महिला/पुरूष चिकित्सालय,उ0प्र0।
3– परियोजना निदेशक,उ0प्र0राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी,लखनऊ।
4– महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,उ0प्र0, लखनऊ।
5– निदेशक, चिकित्सा उपचार,स्वास्थ्य भवन,लखनऊ।
6– औषधि नियंत्रक,स्वास्थ्य भवन,लखनऊ।
7– समस्त प्रभारी रक्त कोष राजकीय चिकित्सालय/चिकित्सा महाविद्यालयों तथा छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध चिकित्सालय।
8– समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी,उ0प्र0।
9– समस्त ए0आर0टी0 केन्द,उ0प्र0।
10– चिकित्सा अनुभाग–8
11– चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–1/3
12– गार्ड बुक।

17.11.08

आज्ञा से,
(सुधीर सिंह चौहान)
अनु सचिव।